विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / २४१ दुर्ग, दिनांक - 02/05/26

(अध्यक्ष – श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य – श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक – 170
दिनांक – 08 / 05 / 2026

प्रति,

श्री राजकिशोर चौधरी आवेदक
पिता श्री श्यामलाल चौधरी,
सर्वोदय ग्रीन, रामपुर, कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
बी.पी.क्रमांक – **1005687184**

विरूद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचा / संघा) संभाग, अनावेदकगण
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, अहिवारा।
2. सहायक अभियंता, उपसंभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, कुम्हारी।

आदेश

आज दिनांक 31 / 08 / 2026 को पारित किया गया

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

आवेदक का कथन है कि उनके घरेलू प्रावधान हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन के विद्युत आपूर्ति अनियमित रहता है

2. निर्विवाद तथ्य

मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है :–

1. आवेदक का विद्युत कनेक्शन घरेलू प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 3.92 किलोवाट है।

3. उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत कथन

उपरोक्त निर्विवाद तथ्यों के अलावा आवेदक का शिकायत निम्नानुसार हैं।

आवेदक द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन में विद्युत आपूर्ति अनियमित होने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अनुसार उसे लंबे समय से दैनिक विद्युत आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दिनांक 23–24 जून 2026 को दिन में बार–बार विद्युत कटौती के पश्चात रात्रि लगभग 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक करीब 10 घंटे लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित रही। इसके पश्चात भी विद्युत आपूर्ति में बार–बार व्यवधान उत्पन्न होता रहा।

आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष बार–बार होने वाले विद्युत अवरोध की समस्या का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर में बताया गया है कि आवेदक श्री राजकिशोर चौधरी, निवासी सर्वोदय ग्रीन, कुम्हारी द्वारा दिनांक 23–24 जून 2026 को विद्युत आपूर्ति बंद होने की शिकायत की गई थी। उक्त अवधि में स्थापित विद्युत लाइन पर पेड़ एवं टहनियां गिर जाने के कारण विद्युत अवरोध उत्पन्न हुआ था। पेड़ एवं टहनियों को काटकर अलग किए जाने के पश्चात विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चालू कर दी गई।

अनावेदक द्वारा आवेदक के परिसर के स्थापित कनेक्शन का निरीक्षण दिनांक 28. 7. 2026 को किया गया

अनावेदकगण के अनुसार इस दौरान कनिष्ठ अभियंता, कुम्हारी तथा स्टाफ द्वारा आवेदक से संपर्क कर विद्युत लाइन बंद होने के विभिन्न कारणों से अवगत कराया गया। आवेदक की मांग के अनुरूप पुराने मीटर को बदलकर उसके परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

अनावेदकगण द्वारा यह भी बताया गया है कि की गई जानकारी एवं कार्यवाही से आवेदकधशिकायतकर्ता संतुष्ट है। इस संबंध में स्थल निरीक्षण पत्र की प्रति भी फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. विचारणीय प्रश्न

मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:–

1. क्या आवेदक के घरेलू विद्युत कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति अनियमित है?

2. क्या आवेदक के घरेलू विद्युत कनेक्शन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

आवेदक द्वारा यह शिकायत की गई है कि उसके घरेलू विद्युत कनेक्शन में लंबे समय से विद्युत आपूर्ति अनियमित है तथा दिनांक 23–24 जून 2026 को विद्युत आपूर्ति लगभग 10 घंटे तक बाधित रही।

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि उक्त अवधि में विद्युत लाइन पर पेड़ एवं टहनियां गिर जाने के कारण विद्युत अवरोध उत्पन्न हुआ था। अनावेदकगण द्वारा पेड़ एवं टहनियों को हटाकर विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गई। इस प्रकार विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधान आकस्मिक एवं बाहरी कारणों से हुआ था।

अनावेदकगण द्वारा यह भी बताया गया है कि आवेदक से संपर्क कर विद्युत लाइन बंद होने के विभिन्न कारणों की जानकारी दी गई तथा आवश्यक कार्यवाही की गई। फोरम के समक्ष ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि आवेदक के कनेक्शन में स्थायी अथवा निरंतर अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या विद्यमान है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदक के घरेलू विद्युत कनेक्शन में स्थायी रूप से अनियमित विद्युत आपूर्ति प्रमाणित नहीं हुई है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2

आवेदक द्वारा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में शिकायत की गई थी। अनावेदकगण द्वारा स्थल निरीक्षण एवं की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों से स्पष्ट है कि विद्युत लाइन पर पेड़ एवं टहनियां गिरने के कारण अस्थायी विद्युत अवरोध उत्पन्न हुआ था, जिसे हटाकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई।

आवेदक की मांग के अनुरूप पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर भी स्थापित किया गया है। फोरम के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो कि आवेदक के घरेलू विद्युत कनेक्शन में कोई तकनीकी खराबी विद्यमान है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि आवेदक के घरेलू विद्युत कनेक्शन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी प्रमाणित नहीं हुई है।

Tripping Details Mete
Event Name
Event Date
Number

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि

1. दिनांक 23–24 जून 2026 को विद्युत आपूर्ति में उत्पन्न व्यवधान पेड़ एवं टहनियां गिरने के कारण हुआ था। अनावेदकगण द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर विद्युत आपूर्ति सुचारु कर दी गई तथा आवेदक की मांग के अनुरूप पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

2.फोरम के समक्ष आवेदक के विद्युत कनेक्शन में स्थायी अनियमित विद्युत आपूर्ति अथवा किसी तकनीकी खराबी का प्रमाण नहीं पाया गया है।

3.यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकता है।

4. आदेश पारित

5 .प्रकरण निराकृत

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग